मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 468*

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बिहार में आवंटित आवास

***468. श्री दिनेश चंद्र यादवः**

श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के तहत बिहार में कितने आवास आवंटित किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत देश भर में राज्यवार कितने आवास बनाए जाने की संभावना है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बिहार में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी प्रगति की स्थिति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत बिहार में आवंटित आवास" के विषय में दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 468* (8वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न मिशनों, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), पीएम-ई-बस सेवा आदि के माध्यम से बिहार राज्य सहित देश के शहरी क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के तहत, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.74 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 24.03.2025 तक देश भर में 92.02 लाख आवास बन चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के तहत बिहार राज्य में कुल 3,14,477 आवासों को स्वीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 2,92,162 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 24.03.2025 तक 1,76,880 आवास बन चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है।

पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित योजना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आवासों की अपनी निर्धारित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं। इन प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है ताकि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने

पर आगे विचार कर सके। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 6.92 लाख से अधिक आवासों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर 20.03.2025 को हुई बैठक के दौरान सीएसएमसी द्वारा कुल 3,52,915 आवासों को स्वीकृति दी गई है। इन स्वीकृत आवासों में से बिहार राज्य में पात्र लाभार्थियों के लिए 1,00,124 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) ने 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को बुनियादी ढाँचा और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करके शहरों को बढ़ावा दिया। इस मिशन ने बिहार के चार शहरों अर्थात भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ सहित 100 शहरों में रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकास के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण ने अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं, सार्वजनिक निजी भागीदारी आदि के साथ तालमेल करके कई वित्तपोषण स्रोतों से निवेश को बढ़ावा दिया है। इन चार शहरों को लगभग 1,901 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

अमृत मिशन की शुरुआत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकसित योजनाओं के आधार पर 1 लाख से अधिक शहरी आबादी वाले 500 चयनित शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क तथा बिना मोटर वाले शहरी परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके अलावा, शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लिए 1 अक्टूबर, 2021 को अमृत 2.0 की शुरुआत की गई, जिसमें 76,760 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता सहित 2,77,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश शामिल है। अमृत के तहत, बिहार राज्य ने लगभग 2,575 करोड़ रुपये की 65 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 2,489 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत बिहार राज्य में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 8,481 करोड़ रु. (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की कुल 64 परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के उद्देश्य से की गई थी। एसबीएम-यू के तहत कुल 11,905 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। बिहार में, 556 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता में से, एसबीएम-यू के तहत कुल 386 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

1,41,600 करोड़ रुपये (36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित) के कुल निवेश के साथ संशोधित एसबीएम 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाना, अपशिष्ट की सभी पुरानी डंपसाइटों का सुधार और प्रयुक्त जल का शोधन करना है। बिहार के लिए, 1045.50 करोड़ रुपये की अनुमोदित केंद्रीय

सहायता में से, बिहार राज्य द्वारा तीन घटकों शौचालय निर्माण/ प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम)/ ठोस जल प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के लिए 229.62 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है।

पीएम स्वनिधि योजना 1 जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत बिहार राज्य में 1,28,847 आवेदनों के लिए पहला ऋण, 29,476 आवेदनों के लिए दूसरा ऋण और 4,502 आवेदनों के लिए तीसरा ऋण संवितरित किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए 16 अगस्त, 2023 को "पीएम-ई-बस सेवा" योजना शुरू की गई है। इसके लिए पीपीपी मोड के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3-40 लाख की आबादी वाले शहर और राज्यों की 3 लाख से कम आबादी वाली अन्य राजधानियाँ इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत बिहार राज्य के 6 शहरों में 400 बसें स्वीकृत की गई हैं। कुल संवितरित राशि 87.55 करोड़ रुपये है।

****